दिनांक 29.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 29/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 लाख 82 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध पिस्टल 15 जीवित कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.06.2021 को थाना देवबन्द व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समिति से नूरपुर जाने वाले रास्ते के पास से पुलिस कार्यवाही में 08 अभियुक्तों 1–सिकन्दर 2–काशी उर्फ आकाश 3–करण पुत्र योगेन्द्र 4–करण पुत्र रमेश 5–विकास उर्फ राहुल 6–विशाल 7–आरिफ 8–अमित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 लाख 82 हजार रूपये नगद, 03 अवैध पिस्टल 15 जीवित कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें अभियुक्त अमित के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत के विभिन्न थानो में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 21.06.2021 को थाना देवबन्द क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 371/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सिकन्दर निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2–काशी उर्फ आकाश निवासी सत्ती कालोनी थाना राजौन्द जनपद कैथल हरियाणा।

3–करण पुत्र योगेन्द्र निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

4–करण पुत्र रमेश निवासी बेहडा थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।

5–विकास उर्फ राहुल निवासी घड़ी पट्टी जहाज वाला कस्बा थाना राजौन्द जनपद कैथल हरियाणा।

6–विशाल निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

7–आरिफ निवासी हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

8–अमित निवासी आखेपुर थाना सरधना जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 05 लाख 82 हजार रूपये नगद।

2–03 अवैध पिस्टल 15 जीवित कारतूस।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

4–01 चार पहिया, 01 दो पहिया वाहन।

<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर</u>

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 हजार रूपये नगद, 02 जोडी तोड़िया, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध पिस्टल 08 जीवित 10 खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 07 खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.06.2021 को थाना कोतवाली सदर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोस्ती नगर फायर सर्विस के पास बदमाशों की घेराबन्दी

की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में उ0नि0 प्रेम नरायण सरोज, आरक्षी विजय कुमार, आरक्षी अमर सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—धनराज 2—अजय घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—विजय कुमार 4—देवेन्द्र कुमार उर्फ देव सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 हजार रूपये नगद, 02 जोडी तोड़िया, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध पिस्टल 08 जीवित 10 खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 07 खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त धनराज व अजय शातिर किस्म के अपराधी हैं जिसमें अभियुक्त धनराज के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 23 अभियोग एवं अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त धनराज व अजय थाना मौरावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2021 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धनराज निवासी अकोहरी थाना मौरावां जनपद उन्नाव।

2—अजय निवासी भोलागंज थाना पुरवा जनपद उन्नाव।

3—विजय कुमार निवासी कलानी काछिनखेड़ा सुमेरपुर थाना बिहार जनपद उन्नाव।

4—देवेन्द्र कुमार उर्फ देव निवासी चौनपुर मवइया थाना बिहार जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—03 हजार रूपये नगद, 02 जोडी तोड़िया, 02 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध पिस्टल 08 जीवित 10 खोखा कारतूस।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 07 खोखा कारतूस।

4—02 मोटर साइकिल।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 01 जीवित 01 खोखा कारतूस**

दिनांक 29.06.2021 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विजय नगर के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किये गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 07 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 01 जीवित 01 खोखा कारतूस हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2021 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहन निवासी माधोपुरा थाना सिटी कोतवाली जनपद मुरैना मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–07 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

3–01 अवैध तमंचा 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.06.2021 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त विक्रम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व महाराष्ट्र प्रान्त में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बीटा–2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 679/2020 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्रम निवासी बी–1212 मिगसन ग्रीन मेनसन सेक्टर जीटा–1 थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.06.2021 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन कारपेट मैरिज हॉल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–खालिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खालिद निवासी शेखपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

जनपद बलिया/थाना रसड़ा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.06.2021 को थाना रसड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा रसड़ा रोडवेज पश्चिमी गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2020 धारा 392/342/307/402 भादवि व मु0अ0सं0 01/2021 धारा 399/402/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सूरज निवासी गोपालपुर निस्फी थाना रामपुर जनपद मऊ।

<u>जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.06.2021 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बजरंग ढाबे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2021 धारा 376डी/323/506 भादवि व 3(2)(2) एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–देवेन्द्र निवासी धीमरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

<u>जनपद प्रयागराज/थाना कैण्ट</u>

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 लग्जरी कार**
- **भारी मात्रा में वाहन चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइस, कूटरचित दस्तावेज आदि बरामद**

दिनांक 29.06.2021 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमला नगर के पास से 05 अभियुक्तों 1– रंजीत उर्फ रिन्कू

2–आदित्य 3–मो0आरिफ 4–शीबू 5–शहंशाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 लग्जरी कार, भारी मात्रा में वाहन चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइस, कूटरचित दस्तावेज आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रंजीत उर्फ रिन्कू के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त शीबू के विरूद्ध जनपद प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गैंग बनाकर दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, उडीसा, छत्तीसगढ़ आदि प्रान्तो में चार पहिया वाहनो को चोरी करते है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रंजीत उर्फ रिन्कू निवासी यशोदा नगर थाना फ्रेन्डस कालोनी जनपद इटावा।

2–आदित्य निवासी वाई ब्लाक 365 किदवई नगर जनपद कानपुर नगर।

3–मो0आरिफ निवासी जाटवपुरी चूंगी रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

4–शीबू निवासी 5/1 आर0ए0 लाइन न्यू कैण्ट थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

5–शहंशाह निवासी जाटवपुरी चूंगी रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की चोरी की 05 लग्जरी कार।

2–भारी मात्रा में वाहन चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइस, कूटरचित दस्तावेज आदि।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की 03 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 28.06.2021 की रात्रि थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पोखरा के पास से मादक पदार्थ तस्कर आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की 03 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलम निवासी पचपोखरा चौकी जोगा गांव बाके।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की 03 किलो 800 ग्राम अवैध चरस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 20 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.06.2021 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना शिकोहाबाद क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–अखिलेश 2–संजू 3–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 20 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश निवासी गोशपुरा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

2—संजू निवासी नंगला नया थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

3—विकास निवासी मो0 ठारपूठा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 20 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कालोनी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र**
- **30 अवैध जीवित कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.06.2021 को थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मटरमील के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गोलू उर्फ अक्षय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 30 जीवित कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोलू उर्फ अक्षय निवासी कटरा शमशेर खॉ थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी

1—06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र।

2—30 अवैध जीवित कारतूस।

3—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

एस0टी0एफ0— अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्करो को 330 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 65 लाख रूपये), सहित गिरफ्तार

दिनांक 29—06—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी क्षेत्र से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अर्न्तराज्यीय गैंग के 02 सदस्यों को 330 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 65 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— जितेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम निवासी मौ0 मुनार, थाना बिशुनगढ़, जनपद कन्नौज।

2— सुशील कुमार पुत्र सुबोध कुमार निवासी मौ0 मुनार, थाना बिशुनगढ़, जनपद कन्नौज।

बरामदगीः

1. 330 किलोग्राम गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 65 लाख रूपये)
2. 01 ट्रक नं0—यूपी—75 एम—9311
3. 02 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 29—0—2021, स्थानः—नंगला जुला रेलवे क्रासिंग करहल रोड, थाना कोतवाली मैनपुरी समयः—03.30 बजें।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाइयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से मादक द्रव्य पदार्थ गाँजा की तस्करी की जा रही है, जो वहाँ से आने वाले ट्रको/कन्टेरों में लाये जा रहे सामान में छिपाकर लाया जा रहा है तथा उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों एंव दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में गाँजा बेचा जा रहा है। आज उड़ीसा से एक ट्रक नं0 यूपी–75 एम–9311 में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर लाया जा रहा है, जो उ0प्र0 के मैनपुरी में कहीं सप्लाई दिया जाना है।

इस सूचना पर निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 प्रीतम भाटी, कान्स0 विकास चौधरी, कान्स0 आकाशदीप, कान्स0 भूपेन्द्र सिंह, कान्स0 प्रदीप धनकड, कान्स0 महेश शर्मा एंव कान्स0 अंकित श्यौरान की एक टीम जो जनपद मैनपुरी में भ्रमणशील थी तत्काल थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत पहुँचकर आसरा आवास के पास करहल मैनपुरी रोड पर पहुँची और स्थानीय पुलिस को भी सहयोग हेतु साथ लेकर उक्त ट्रक का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बार ट्रक नं0 यूपी–75 एम–9311 आता दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी ली गयी तो उसमें गॉजा छिपाकर रखा गया था, जिस पर ट्रक में बैठे लोगों को अभिरक्षा में लेकर अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) कब्जे में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग सोनीपत हरियाणा से परचून का सामान लादकर भुवनेश्वर उड़ीसा गये थे वहॉ पहुँचकर हम

अपनी गाड़ी में लदा परचून का सामान उतारकर वहॉ से ट्रक में काजू का छिलका भरकर अडवा उड़ीसा में आये थे। वहां पर ठेकेदार मनोज पुत्र रामनिवास ने कहा कि विपिन 11 कटटों में गाँजा अपनी गाड़ी में काजू के छिलको की बोरियों के बीच में छिपाकर लादकर भेजेगा, जिसे मैनपुरी के 1. बच्चू सिंह पुत्र लखन सिंह निवासी जरामई मैनपुरी 2. विनय पुत्र घनश्याम निवासी उपरोक्त के यहॉ ले जाना। भाड़ें के तुम्हे 20 हजार रूपये मिलेंगे। वहीं पर गाँजा लादने वालों ने हमें एडवांस में 15 हजार रूपयें दिये और बाकी माल पहुँचाने पर मिलने का कहा। ठेकेदार मनोज पुत्र रामनिवास नि0 नद्धौली नकारा, जनपद एटा के बताये अनुसार हम लोगों को इस माल को अडवा उडीसा से लाकर बच्चू सिंह एंव विनय निवासी गण जरामई मैनपुरी के यहॉ उतारना था। हम इस गांजे को लेकर उडीसा से करहल रोड होते हुए मैनपुरी पहॅुच पाते कि आप लोगों ने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्व थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी पर मु0अ0सं0 389/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0— अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, 6.04 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 1.20 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 28—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधी गिरफ्तार कर 6.04 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 1.20 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– लालबाबू यादव पुत्र राम इकबाल यादव निवासी सिन्डीकेट गेट सोनी पट्टी थाना बक्सर, टाऊन जनपद बक्सर (बिहार)

2– रमाकान्त यादव पुत्र स्व0 शंकर यादव निवासी सिन्डीकेट गेट सोनी पट्टी थाना बक्सर, टाऊन जनपद बक्सर (बिहार)

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–</u>

दिनांक 28–06–2021 रात्रि 23.30 बजे जनपद चन्दौली के थाना कोतवाली चन्दौली क्षेत्रान्तर्गत सब्जी मण्डी समिति के पास।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः</u>

1– 6.04 कुन्तल मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 01.20 करोड़ रूपये)

2– 01 अदद ट्रक–यू0पी0–64–सीएन–1929

3– 01 अदद मोबाइल

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी की टीम को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि एक ट्रक नंबरः यू0पी0–64–एच–1929 में भारी मात्रा में गॉजा बिहार की तरफ से जी0टी0 रोड से लाया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक राघवेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की एक टीम नॉरकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को साथ लेकर विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात स्थान पर पहुँचकर जनपद चन्दौली के थाना चन्दौली कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सब्जी मण्डी समिति के पास से उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि बरामद ट्रक नं0—यू0पी0—64—एच—1929 रून्नू सिंह निवासी मंझरिया जनपद बक्सर बिहार का है। उक्त ट्रक में गॉजा छिपाकर तस्करी का काम किया जाता है। इस ट्रक को अमित सिंह एवं रून्नू सिंह निवासीगण मंझरिया जनपद बक्सर बिहार के कहने पर हम लोग गॉजा लेने के लिये सलूर घाटी आन्ध्र प्रदेश गये थे। वहॉ पर ट्रक में अदरक लोड कर इसके बीच में गॉजा को छिपा दिया गया तथा अदरक की बिल्टी जनपद वाराणसी (उ0प्र0) के लिये बनवायी गयी, ताकि चेकिंग के दौरान किसी को कोई शंका न होने पाये। वाराणसी पहॅुचने पर अमित सिंह और रून्नू सिंह बताते कि गॉजा कहॉ पर और किसको देना है। इनके बताने पर हम लोग गॉजा संबंधित को दे देते। हम लोगों को गॉजे की प्रति चक्कर सप्लाई के लिये किराये के अतिरिक्त 50 हजार रूपये मिलता था, जिसके लालच में आकर हम लोग यह गॉजा लेकर सप्लाई के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो लखनऊ द्वारा एन0सी0बी0 केस क्राइम नं0— 27/2021 धारा 8, 20, 25, 29, 60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0— अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 320 पेटी विभिन्न ब्राण्ड के अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रू0) लदा डीसीएम ट्रक बरामद।

दिनॉक—29.06.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 320 पेटी विभिन्न ब्राण्ड के अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रू0) लदा डीसीएम ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-</u>

1— सचिन कुमार पुत्र राजनेश कुमार, निवासी बरूआ, थाना बिधूना, जनपद औरैया।

2— रवेन्द्र सिंह पुत्र लखनराम, निवासी लहस्की, थाना पाली मुकीमपुर, जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी :-</u>

1— 320 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)।
(I) King Gold Whisky - 120 पेटी
(II) Imperial Blue Whisky - 35 पेटी
(III) Blue Stroke Whisky - 100 पेटी
(IV) Officer Choice Whisky - 40 पेटी
(V) Royal Style Whisky - 25 पेटी

2— 01 अदद डीसीएम ट्रक नम्बर यू0पी0—16—एफटी—4164 (फर्जी नम्बर प्लेट)।

3— 01 अदद फर्जी बिल्टी (05 प्रतियों में) मुर्गी दाना की।

4— 02 अदद मोबाइल फोन।

5— 01 आधार कार्ड।

6— 01 अदद डी0एल0।

7— नकद 9,000/— रूपये।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान</u>

दिनांक — 29.06.2021, समय प्रातः 06:30 बजे, शताब्दी होटल के सामने, मुगल रोड, थाना क्षेत्र सजेती, जनपद कानपुर नगर।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उ0प्र0 के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाक—29.06.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मु0आ0 विकास तिवारी, आरक्षी संतोश कुमार, किशनचन्द्र, दिलीप कुमार सिंह व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद कानपुर नगर में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि पंजाब प्रान्त से एक डीसीएम ट्रक में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु कानपुर के रास्ते नेशनल हाईवे से बिहार प्रान्त जाने वाली है। इस सूचना पर उक्त टीम के सदस्य तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहॅुचकर वाहन का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बताये गये नम्बर का डीसीएम ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक करते हुए तलाशी ली गयी तो सफेद बोरियों में भरे मुर्गी दाना के नीचे छिपाकर रखे गये अवैध अंग्रेजी शराब से लदे डीसीएम ट्रक व 02 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई। चालक की तलाशी लेने पर उसके पास से मुर्गी दाना की एक अदद फर्जी बिल्टी (5 प्रतियों में) भी बरामद हुई, जो डेरा बस्सी, पंजाब से खगरिया, बिहार जाने के लिए बनी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ पर उन्होंने बताया कि यह अवैध अंग्रेजी शराब मोहाली, चण्डीगढ़ के डेरा बस्सी स्थान से नरेन्द्र कुमार ने बिहार प्रान्त के दरभंगा जनपद तक पहॅुचाने के लिए भेजा था तथा बताया था कि दरभंगा में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग तुम लोगों से सम्पर्क करके स्वयं इस अवैध शराब को अपने अड्डे तक लेकर जायेंगे। स्थानीय शराब तस्करों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि नरेन्द्र कुमार व स्थानीय तस्करों में दूरभाष पर सीधे वार्ता हो रही थी, इसलिए स्थानीय तस्करों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कुमार ने बताया कि वह भारी वाहनों को चलाने का काम करता है। अक्सर वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाया करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोहाली, पंजाब के रहने वाले नरेन्द्र कुमार से चण्डीगढ़ में हुई। कई मुलाकातों से उसकी और नरेन्द्र कुमार की घनिष्ठता हो गयी। नरेन्द्र कुमार अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार में लिप्त था। ज्यादा पैसों का लालच देकर नरेन्द्र कुमार ने अवैध शराब को

ट्रकों में भरकर विभिन्न प्रान्तों में पहुँचाने के काम में सचिन कुमार को शामिल कर लिया। सचिन कुमार इससे पहले भी दो बार दरभंगा, बिहार में अवैध अंग्रेजी शराब की सप्लाई नरेन्द्र कुमार के कहने पर कर चुका है। पहली बार वह दरभंगा शहर के बाहर खेतों के किनारे रोड पर तथा दूसरी बार दरभंगा बाई पास रेलवे फाटक पर स्थानीय तस्करों को अवैध अंग्रेजी शराब की सप्लाई कर चुका है। इस काम के एवज में गिरफ्तार अभियुक्तों को खाने–पीने इत्यादि खर्चे के अलावा 15 हजार रूपये प्रति चक्कर मिलते है। हरियाणा से बिहार प्रान्त के आने–जाने वाले रूट के सम्बन्ध में जानकारी करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मोहाली, चण्डीगढ़ से पलवल, गाजियाबाद, छाता, मथुरा होते हुये कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, चन्दौली के रास्ते मोहनियॉ से बिहार प्रान्त में जाते है।

इस सम्बन्ध में थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर में मु0अ0सं0–141/2021 धारा–419/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराकर अभियुक्तों को दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस तथा आपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है।

—————————